संख्या-40/2026//001-499-23-12-2026-2017907

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल, 2026

विषयः निष्पादन वाद सं0-683/2019 (पूर्व में 617/2017) में मा0 कामर्शियल कोर्ट, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 एवं दिनांक 07.01.2026 के अनुक्रम में रिट याचिका सं0-50/2025 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2026 के अनुपालन में उ0प्र0 स्टेट रोड प्राजेक्ट (मेजर मेन्टीनेन्स) फेज-1 के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं0-47 के बिजनौर से नजीबाबाद भाग (लंबाई 53 किमी0) के कार्य हेतु डिक्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-11068बीजी/209बी(67)/2025-26, दिनांक 21.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निष्पादन वाद सं0-683/2019 (पूर्व में 617/2017) में मा0 कामर्शियल कोर्ट, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 एवं दिनांक 07.01.2026 के अनुक्रम में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष **Appeal U/S** 37 **of Arbt And Conciliation Act** 1996 के अन्तर्गत योजित केस सं0-50/2025 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2026 के अनुपालन में राष्ट्रीयकृत बैंक के खातों में FDRs के रूप में जमा किये जाने हेतु रू0 5,00,00,000.00 (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 5,00,00,000.00 (रूपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-058 लेखाशीर्षक-5054808000301 न्यायालयों की डिकी की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-40/2026//001-499(1)-23-12-2026-2017907

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र० लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मुरादाबाद।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद को इस आशय से भी प्रेषित कि प्रश्नगत वाद में शीर्ष प्राथमिकता पर सम्बन्धित मुख्य स्थायी अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी एवं प्रकरण में सुनवाई हेतु यथावश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

8- अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।

9- अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद ।

10- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

13- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।